विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,235.07 करोड़ के कर, शुल्क, फीस, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण किये जाने से संबंधित 39 कंडिकाएँ हैं, जिसमें 'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर–निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 'वाणिज्य–कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के मामले भी शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2014–15 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 78,417.54 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 20,750.23 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,557.98 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 22,308.21 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 56,109.33 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 36,963.07 करोड़ और सहायता अनुदानः ₹ 19,146.26 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 28 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2014 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2015 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 1,790 एवं 13,028 थी जिसमें ₹ 9,157.77 करोड़ सन्निहित थे। 1,166 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व एवं अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अभिलेखों की वर्ष 2014–15 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 3,537 मामलों में ₹ 2,808.25 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान संबंधित विभागों ने 373 मामलों में ₹ 688.10 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 596.43 करोड़ से सन्निहित 87 मामले वर्ष 2014–15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्य–कर

'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर–निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

विभाग ने रिटर्न को अपलोड करते समय सभी फील्ड्स एवं बॉक्स को भरा जाना अनिवार्य नहीं बनाया था। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायी अपूर्ण रिटर्न दाखिल करते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व–कर निर्धारित मान लिया जाता था।

(कंडिका 2.3.10.1)

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान नमूना–जाँचित 18 अंचलों में से मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने तथा कर के दायरे को बढ़ाने हेतु सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप सर्वे के आधार पर मात्र 275 व्यवसायियों ने ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् निबंधन लिया था।

(कंडिका 2.3.10.2)

कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा की स्थिति काफी कम थी क्योंकि 10 अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 99 प्रतिशत व्यवसायियों के रिटर्न असंवीक्षित पड़े थे जो विभाग में संवीक्षा हेतु आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली की कमी का भी सूचक है।

(कंडिका 2.3.10.3)

दस नमूना–जाँचित अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने रिटर्न जमा नहीं किया था, इसके बावजूद बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 के तहत् मात्र कुछ ही मामलों का कर–निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.10.4)

व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों के साथ–साथ दूसरे व्यवसायियों के रिटर्न से आवर्त का अनिवार्य तिर्यक जाँच हेतु प्रावधान के अभाव तथा संवीक्षा/कर–निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से 15 अंचलों के 63 व्यवसायियों के मामलों में आवर्त का छिपाव हुआ तथा आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 451.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

वैधानिक संकल्प के बावजूद सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के साथ साक्ष्य अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत किया जाना विहित नहीं किया गया था तथा साथ ही साथ संवीक्षा/कर–निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति/लाभ लिया गया तथा इसके फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से 12 अंचलों के 51 व्यवसायियों के मामले में आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 43.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.12.1 एवं 2.3.12.2)

वैट ऑडिट हेतु व्यवसायियों की चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि योग्यता मानदंड को पूरा करने के बावजूद 55 व्यवसायियों का चयन नहीं हो सका था तथा ऑडिट मैनुअल के अभाव के कारण ऑडिट प्रक्रिया तथा उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही विहित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप वैट ऑडिट का प्रभाव काफी कम था।

(कंडिका 2.3.24.2 से 2.3.24.5)

कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा/कर–निर्धारण तथा इससे संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट/रिटर्न को अंकित करने तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमित अवधि पर आवधिक अनुश्रवण हेतु पंजी विहित नहीं थी।

(कंडिका 2.3.24.8)

'वाणिज्य–कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2015) तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (बी.एस.ई.डी.सी., राज्य नामित एजेन्सी) और मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (वैटमीस कार्यान्वयन के लिए मनोनीत एजेन्सी) के सर्विस लेवेल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और यूजर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेसन, सॉफ्ट्वेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेसन, सिस्टम डिजाईन डॉक्यूमेन्ट, डाटा फ्लो डाइग्राम एवं डाटा डिक्शनरी इत्यादि से संबंधित अभिलेख नहीं थे। इसके अलावे, वाणिज्य–कर विभाग के पास कम्प्यूटर प्रणाली के लिए एप्लीकेशन का सोर्स कोड, एक्जिट मैनेजमेन्ट और डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नहीं था।

(कंडिका 2.4.6)

निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना की गतिविधियों के पूरा न होने के कारण वाणिज्य–कर विभाग के लिए मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) के केन्द्रीय हिस्से में कटौती की गई थी। प्रणाली का डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नई दिल्ली के स्थान पर पटना में स्थापित किया गया था।

(कंडिका 2.4.7 एवं 2.4.8)

कम्प्यूटर प्रणाली के एप्लीकेशन नियंत्रण में विभिन्न कमियाँ थी, जैसे करदाताओं की पहचान संख्या (टीन) और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान संख्या (सुविधा) व्यवसायियों की अधूरी जानकारी के साथ तैयार की गई थी और कम्प्यूटर प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक नियमों और वैलिडेसन जाँच मैप नहीं किए गये थे। इसके परिणामस्वरूप अपलोडेड डाटा में बहुत सारी त्रुटियाँ थी जिसकी अब तक पहचान नहीं की जा सकी थी और व्यवसायी अपने पक्ष में तथ्यों को छुपाये जाने हेतु समर्थ थे।

(कंडिका 2.4.12 से 2.4.14)

चार वाणिज्य–कर अंचलों में चार व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 2.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.7)

भागलपुर वाणिज्य–कर अंचल में एक व्यवसायी द्वारा उर्जा की बिक्री के छिपाव के फलस्वरूप ₹ 60.87 करोड़ के न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 121.75 करोड़ का विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.17)

प्रवेश दर में अनियमित बदलाव का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का मनोरंजन कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.19)

III. राज्य उत्पाद

उत्पाद दुकानों के निरस्त लाइसेंस से संबंधित ₹ 9.47 करोड़ के सरकारी बकाये की वसूली हेतु उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गयी थी।

(कंडिका 3.4)

उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि को जब्त किये जाने के बजाए देय बकायों के विरूद्ध जमानत राशि का समायोजन किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता दिया गया।

(कंडिका 3.5)

IV. मोटर वाहनों पर कर

इक्कीस जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2011 एवं सितम्बर 2014 के अवधि के बीच 981 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 1.07 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 3.19 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई माँग निर्गत की गयी।

(कंडिका 4.4)

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किये जाने के फलस्वरूप 19 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 6.26 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.6.1)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

लीज के शर्तों एवं बंधेजों की अवहेलना के मामले में नई लीज का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 72.19 करोड़ के सलामी एवं लगान की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.4.3.1)

उन्नीस माह के बीत जाने के बाद भी गाँधी मैदान, गया में अनाधिकृत निर्माण को नियमित नहीं किये जाने के फलस्वरूप सलामी तथा लगान के रूप में ₹ 44.97 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.4.3.4)

पेट्रोल पंप के 35 लीजों के कार्यान्वयन में भूमि के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के सलामी तथा लगान की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.4.4.2)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने अधियाची निकाय/विभागों के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु ₹ 97.15 करोड़ के स्थापना प्रभार की वसूली को सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 5.5)

सहायक महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 1.47 करोड़ का सरकारी राजस्व अवरूद्ध रहा।

(कंडिका 5.8)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

अंतर्विभागीय समन्वय की कमी के फलस्वरूप खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदको के विरूद्ध ₹ 40.76 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.4)

आवश्यक खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के उत्खनन हेतु कार्य संवेदको पर ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.8)